तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **अपील /एलआर/5416/2005/भीलवाडा** **बिहारी मृतक जरिये वारिसान बनाम राज0 सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री जे0के0 पारीक, अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से।
(2) श्री शिव प्रकाश चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

दिनांकः–22.05.2025

1– उक्त अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा द्वारा अपील संख्या 114/94 में पारित पारित निर्णय दिनांक 13–10–1995 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2– विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस अपील पर सुनी गयी।

3– सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अपीलाण्ट्स को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी ना ही उन्हें अपीलीय न्यायालय में उनके मृतक पिता द्वारा कोई सूचना अपीलग्रस्त निर्णय के बाबत् दी गयी। निर्णय की जानकारी प्रार्थी अपीलाण्ट्स को सर्वप्रथम निर्णय के पश्चात् दिनांक 15–09–2005 को हुई तथा जिसके पश्चात् प्रार्थीगण/अपीलाण्ट्स द्वारा न्यायालयों में जाकर मालूमात किया गया और उसी दिन नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके पश्चात् दिनांक 27–10–2005 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया एवं प्रार्थी उसी दिन नकल लेकर गांव गया और रूपये पैसे का इंतजाम कर बिना किसी विलम्ब के अपील प्रस्तुत की। अपीलाण्ट्स के पिता बिहारी की मृत्यु करीबन 6 वर्ष पूर्व हो गयी थी तथा उनकी मृत्यु के पूर्व एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् कभी भी आदेश जैर अपील की सूचना या किसी अन्य प्रकार की सूचना का कोई पत्र प्रार्थीगण को प्राप्त नहीं हुआ था और न ही प्रार्थीगण/अपीलाण्ट्स को इस बाबत् कोई जानकारी थी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर अपीलाण्ट्स/प्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, निर्णय की परिभाषा में नहीं आता। अधीनस्थ न्यायालयों ने केवल मात्र पटवारी की मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट को अवैध खनन का दोषी मान लिया जो कि पूर्णतया कानूनी प्रावधित प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है, क्योंकि यह मौका रिपोर्ट अपीलाण्ट की मौजूदगी में नहीं बनायी गयी थी इसलिए इस मौका रिपोर्ट का कोई कानूनी आधार नहीं है। इसके उपरांत भी सभी न्यायालयों ने विवादित आदेश प्रदान करके भारी कानूनी एवं सैद्धांतिक भूल की है। विवादित भूमि में किसी प्रकार का अवैध खनन की खनिज सम्पदा मौके पर प्राप्त नहीं हुई थी इसके उपरांत भी अपीलाण्ट को अवैध खनन का दोषी मानकर जो विवादित आदेश सभी अधीनस्थ न्यायालयों

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **अपील /एलआर/5416/2005/भीलवाडा** **बिहारी मृतक जरिये वारिसान बनाम राज0 सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा पारित किया गये हैं वे पूर्णतया कानून में प्रावधित प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट किसी भी प्रकार से अवैध खनन का दोषी नहीं है। इसके उपरांत भी केवल मात्र कयास के आधार पर अपीलाण्ट को अवैध खनन का दोषी माना गया है जो कि पूर्णतया कानून में प्रावधित प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को पटवारी के बयानों के लिए अपीलाण्ट को जिरह करने का अवसर प्रदान नहीं किया जबकि अपीलाण्ट को पटवारी से जिरह करने का अवसर दिया जाना अत्यधिक आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश प्रदान करने से पूर्व किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं की है और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आदेश प्रदान करने से पूर्व अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 89 (7) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करने में सक्षम नहीं थी इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है। खनिज विभाज बिजोलिया के अन्तर्गत सेन्ड स्टोन खनन बाउन्ड्री जलेरी नम्बर 4 पूर्व में विद्यमान थी जो उक्त आराजी के समीप ही स्थित थी एवं खरिज विभाग बिजोलिया द्वारा खनिज बाउन्ड्री में सेन्ड स्टोन के खनन के लिए ब्लाक व प्लाट स्वीकृत व अनुबंधित कर रखे थे। प्लाट व ब्लाक होल्डर्स द्वारा उक्त खनन क्षेत्र में सेन्ड स्टोन का खनन करवाया जाता रहा है एवं रेन्ट तथा रायल्अी खनिज विभाग में जमा करवायी जाती रही है। प्लाट व ब्लाकधारियों द्वारा अपने स्वीकृत एवं अनुबंधित क्षेत्र में खनन कार्य के दौरान उक्त आराजीयात में वर्षों पूर्व खनन कार्य करवाया गया है। अपीलाण्ट का उक्त खनन से कोई सम्बंध व वास्ता नहीं था। पटवारी हल्का द्वारा कभी विवादग्रस्त आराजीयात का मौका पर्चा नहीं बनाया गया एवं न ही ऐसे कोई साक्ष्य है जिससे अपीलाण्ट का उक्त अवैध खनन से कोई सम्बंध व वास्ता रहा हो। प्लाट व ब्लाकधारियों द्वारा अपने अनुबंध के तहत कराये खनन को अपीलाण्ट के जिम्मे माना जाकर उक्त अवैध बेबुनियाद कार्यवाही अपीलाण्ट के विरूद्ध की जा रही है। खरिज विभाग ने उक्त खनन सम्पदा का रेन्ट एवं रायल्अी प्लाट व ब्लाकधारियों से प्राप्त की है तथा खनन के लिए पटटे जारी किये है उसी क्रम में उक्त खनन कार्य अन्य लोगो द्वारा करवाया गया है इसका समस्त रिकार्ड खनिज विभाग में उपलब्ध है। इस प्रकार खनिज विभाग बिजोलिया उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है एवं सम्बंधित रिकार्ड को तलब करवाया जाना भी न्याय संगत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध 1, 04, 650/– रूपये की शास्ति वसूली का आदेश प्रदान किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय 1000/– रूपये से अधिक की शास्ति वसूल करने की अधिकारी नहीं थी। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–10–95 एवं न्यायालय अपर कलक्टर भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–02–93 एवं न्यायालय अति0 तहसीलदार बिजोलिया द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04–08–87 निरस्त फरमाया जावे। 5– विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने दौराने बहस कथन किया कि न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार बिजोलिया ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 (7) के तहत प्रकरण न्यायालय अपर कलेक्टर भीलवाडा को प्रेषित किया। तत्पश्चात् न्यायालय अपर कलेक्टर भीलवाडा ने अपीलार्थीगण के पिता को अवैध खनन का दोषी मानकर शास्ति अधीरोपित कर अपीलाण्ट से वसूली का आदेश 18–02–93	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **अपील /एलआर/5416/2005/भीलवाडा** **बिहारी मृतक जरिये वारिसान बनाम राज0 सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पारित किया। न्यायालय अपर कलक्टर भीलवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–02–93 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील पेश की। न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 13–10–95 के द्वारा अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने के आदेश पारित किये। अपीलाण्ट ने अपने खातेदारी की भूमि में अवैध खनन कार्य किया है जिसके लिये उसे अतिरिक्त तहसीलदार बिजोलिया द्वारा धारा 90 ए एवं 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों की पुष्टि किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं की गयी है केवल मौखिक कथनों के आधार पर अपील पेश की गयी है। अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य एवं शहादत के सम्पूर्ण अवसर दिये गये थे। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर शास्ति अधिरोपित की गयी है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे। 6– हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान द्वारा पत्रावली पर की गयी बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित समझतें है। प्रार्थी/अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के जो कारण दर्शित किये है वे पर्याप्त एवं संतोषजनक प्रतीत होते हैं। अतः प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है। न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार बिजोलियां ने एक प्रकरण धारा 89 (7) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत न्यायालय अपर कलक्टर भीलवाडा को प्रेषित कर अपीलार्थी को अपने खातेदारी की आराजी में 31392 घनफुट पत्थर अवैध खनन करने तथा 2093 टन पत्थर अवैध खनन का दोषी मानते हुए रू0 50/– प्रतिटन की दर से शास्ति रू0 104650/– अधिरोपित किये जाने का कथन किया। न्यायालय अपर कलक्टर, भीलवाडा ने अपने निर्णय दिनांक 18–02–93 के द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन स्वीकार कर ग्राम नयानगर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 491, 492 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा में से 31392 घनफीट क्षेत्र से अनाधिकृत तौर से निकाले गये 2093 टन पत्थर पर रू0 50 प्रति टन से शास्ति रू0 104650/– आरोपित किये जाने के आदेश पारित किये। न्यायालय अपर कलक्टर, भीलवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–02–93 से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की गयी। न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा ने अपने निर्णय दिनांक 13–10–95 के द्वारा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया। न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–10–95 से व्यथित होकर अपीलाण्ट (मृतक जरिये वारिसान) द्वारा मण्डल के समक्ष हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की गयी है। न्यायालय अपर कलक्टर भीलवाडा की पत्रावली के साथ पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 25–04–87 प्रदर्श–1 संलग्न है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम नयानगर के आराजी खसरा नम्बर 491, 492 पर अवैध खनन कार्य श्री बिहारी पिता दीपा बंजारा द्वारा सूपर इम्पोज	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **अपील /एलआर/5416/2005/भीलवाडा** **बिहारी मृतक जरिये वारिसान बनाम राज0 सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बाउण्ड्री के बाहर किया जाना अंकित है। मौका पर्चा ग्राम नयानगर प्रदर्श–2 संलग्न है जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि ''आराजी खसरा नम्बर 491 व 492 पर पहुंच कर जरीब चलाकर सर्वे किया गया एवं उक्त दोनों आराजीयात में लं0X चो0X ग0 218X24X6 फीट पर सुपर इम्पोज बाउण्ड्री के बाहर अवैध खनन कार्य किया जा चुका है। मजदूर एवं कारीगर कार्य करते हुए पाए गये मजदूर एवं कारीगरों से ज्ञात किया जाने पर बताया गया कि यह कार्य श्री बिहारी पिता दीपा बंजारा सा0 जलेरी बजारान द्वारा कराया गया है।'' इसके अलावा पटवारी हल्का द्वारा दिये गये बयान भी परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न है जिससे की पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की पुष्टि होती है। अपीलार्थीगण की ओर से न्यायालय अति0 तहसीलदार बिजोलिया एवं न्यायालय अपर कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अभिभाषक उपस्थित हुए थे तथा उन्हें साक्ष्य एवं सुनवाई के समुचित अवसर दिये गये हैं परंतु प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों एवं मण्डल के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उसके कथनों को बल मिलता हो या उसके कथनों की पुष्टि होती हो। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलाण्ट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत निर्णय पारित किये गये है जिनमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। उपर्युक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होती है। 7– परिणामतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–10–1995 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा) सदस्य	